पत्र संख्या–1/स्था0 (8) 22/2020–................................/

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुकेश कुमार 'मुकुल'
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य, बिहार, पटना।
निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना।
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।
सभी सहायक निदेशक, कुक्कुट, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बिहार।
चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना।
सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना।
गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना।
विशेष उप निदेशक (प0वि0), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना।
परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर/बाँका/पूर्णियाँ।
सभी विशेष उप निदेशक (प0वि0), वृहत पशु विकास परियोजना, बिहार।
सभी उप निदेशक (प0वि0), मध्यम पशु विकास परियोजना, बिहार।
सभी सहायक निदेशक (प0वि0), लघु पशु विकास परियोजना, बिहार।
सभी सहायक निदेशक (प0वि0), शुक्र भंडारण केन्द्र, बिहार।
मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय, डुमरॉव, बक्सर।
प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरॉव, बक्सर।
प्रबंधक, बकरी पालन–सह–प्रजनन प्रक्षेत्र, मरंगा, पूर्णियाँ।
सभी अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।
सभी पशु शल्य चिकित्सक, बिहार।
सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक, बिहार।
सभी उप मत्स्य निदेशक, बिहार।
सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी, बिहार।
सभी संयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक, गव्य, बिहार।
सभी उप निदेशक, गव्य, बिहार।
सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक– /2026

विषय :– **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के अंतर्गत लागू Leave Management Module के माध्यम से अवकाश संबंधी सभी कार्य का अनिवार्य रूप से निष्पादन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अवकाश स्वीकृति से संबंधित आवेदन HRMS के माध्यम से स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जा रहा है, परन्तु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा HRMS पर अवकाश आदेयता का अद्यतन कर अग्रसारित नहीं किया जा रहा है। विदित होगा कि वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया जा रहा है कि राज्य के समस्त पदाधिकारियों के अवकाश संबंधित आवेदनों का निस्तारण HRMS के Leave Managment Module पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना है। उल्लेखनीय होगा कि पशुपालन निदेशालय बिहार, पटना का ज्ञापांक–4495(नि0), दिनांक–31.12.2025 के द्वारा सभी पदाधिकारियों को निदेश दिये जाने के बावजूद भी सभी प्रकार के अवकाश के आवेदन, स्वीकृति, अस्वीकृति एवं निरस्तीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया HRMS Portal के माध्यम से संपादित नहीं किया जा रहा है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृति से संबंधित आवेदन **HRMS** के माध्यम से अग्रसारित किये जाने से पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा **HRMS** पर अवकाश आदेयता अनिवार्यतः अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगे। **HRMS Portal** पर अवकाश आदेयता अद्यतन कराकर ही अवकाश हेतु अभ्यावेदन अग्रसारित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में **HRMS Portal** से इतर अवकाश से संबंधित कार्रवाई स्वीकार्य नहीं होगी एवं अवकाश स्वीकृति प्राधिकार/**Office Admin** द्वारा **HRMS Portal** पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अवकाश अवशेष का समय पर अद्यतीकरण नहीं होने के फलस्वरूप अवकाश आवेदन वापस कर दिया जायेगा। इस संबंध में निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

कृपया उक्त निदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–1/स्था0 (8) 22/2020–2194**/पटना–15, दिनांक–**12/5**/2026**

प्रतिलिपिः–विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।